एजेन्सी अथवा अभिकरण के अनुबन्ध
(CONTRACTS OF AGENCY)

भारतीय अनुबन्ध की धारा 182 के अनुसार, "एक एजेन्ट अथवा अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी दूसरे की ओर से कोई कार्य करने के लिए अथवा तृतीय पक्ष के साथ व्यवहारों में किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है।" वह व्यक्ति जिसकी ओर से कार्य किया जाता है अथवा जिसकी ओर से इस प्रकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है नियोक्ता अथवा प्रधान कहलाता है।

"एजेन्सी (Agency) - "एक नियोक्ता और एजेन्ट के बीच जो अनुबन्ध होता है उसे एजेन्सी अथवा अभिकरण कहते हैं।"

"नियोक्ता द्वारा अपना एजेन्ट नियुक्त करने के परिणामस्वरूप उनके मध्य एक वैधानिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इस सम्बन्ध को एजेन्सी कहते हैं।"

बाटलन के शब्दों में, "एजेन्सी एक ऐसा अनुबन्ध है जिसके द्वारा एक व्यक्ति कुछ निश्चित अथवा वैधानिक सम्बन्धों में

अपनी विवेक-शक्ति से दूसरे का प्रतिनिधित्व करने का दायित्व स्वीकार करता है।"

अंग्रेजी राजनियम के अनुसार, "एजेन्सी का अनुबन्ध एक ऐसा अनुबन्ध है जिसमें किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है ताकि नियोक्ता तथा तृतीय व्यक्ति के बीच वैधानिक सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें।"

केस लॉ (Case Law)

मेहरचन्द बनाम एडवोकेट जेनरल के विवाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने लिखा है कि "एजेन्सी का सार यह है कि नियोक्ता अपने एजेन्ट को अधिकार देता है कि वह अपने नियोक्ता का अन्य व्यक्तियों के साथ अनुबन्धात्मक सम्बन्ध स्थापित करे।"

उदाहरण के लिए - A, B को 100 साइकिलें क्रय करने के लिए नियुक्त करता है। यहाँ पर A प्रधान है, B एजेन्ट है तथा A और B के बीच सम्बन्ध एजेन्सी है।

विशेषतायें अथवा तत्व (Characteristics or Elements)

एजेन्सी की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं —

1. ठहराव का होना – अन्य ठहरावों की तरह एजेन्सी भी एक ठहराव है। यह ठहराव स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है, किन्तु ठहराव का अनुबन्ध होना आवश्यक नहीं है क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति भी एजेन्ट बन सकता है जिसमें अनुबन्ध करने की योग्यता ही नहीं हो, जैसे नाबालिग।
2. नियोक्ता द्वारा अधिकृत होना – पक्षकारों के बीच एजेन्सी तभी हो सकती है जबकि नियोक्ता ने उसे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया हो।
3. प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं – एजेन्सी ~~का होना प्रतिफल~~ की स्थापना के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। अर्थात बिना प्रतिफल के भी एजेन्सी की स्थापना की जा सकती है।
4. नियोक्ता की ओर से कार्य – एक पक्षकार (एजेन्ट) का दूसरे पक्षकार (नियोक्ता) की ओर से कार्य करने का अभिप्राय होना चाहिए।
5. ठहराव के पक्षकार – एजेन्सी ठहराव के के लिए निम्नलिखित दो पक्षकार होते हैं –
   a. प्रधान
   b. एजेन्ट

6. प्रधान के प्रति उत्तरदायित्व — प्रधान के प्रति एजेन्ट तभी उत्तरदायी होता है जबकि उसमें अनुबन्ध करने की क्षमता हो।

7. विश्वासजनित सम्बन्ध – एजेन्सी का अनुबंध एजेन्ट एवं नियोक्ता के मध्य पर क्योंकि विश्वास एवं सद्भावना पर आधारित होता है।